



2026:AHC:33585-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **29845/2025**

सतपाल एवं 2 अन्य याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: सुनील कुमार दुबे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता), वीरेंद्र सिंह चौहान

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान सरकारी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेंद्र सिंह चौहान को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. तत्काल रिट याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 01.02.2022 की उस एफ.आई.आर.को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिससे पुलिस स्टेशन बड़ौत, जिला बागपत में अपराध

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संख्या 87 वर्ष 2022, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 467, 468, 471, 420, 120B के तहत मामला उत्पन्न हुआ है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि वास्तव में पक्षों के बीच के पारिवारिक विवाद को पूरी घटना को (आपराधिक) रंग देकर अवैध रूप से आपराधिक अदालत में घसीटा गया है, जबकि उनके खिलाफ कोई अपराध प्रकट नहीं होता है और इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के संबंध में प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द किए जाने योग्य है।
5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान सरकारी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि वास्तव में प्रतिवादी संख्या 4 का बैंक खाता उनके फर्जी हस्ताक्षर करके खोला गया है। जांच के दौरान, एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि खाता खोलने के फॉर्म पर प्रतिवादी संख्या 4 के हस्ताक्षर जाली हैं और इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इसके अलावा, प्रश्नगत एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी' (2017) 2 एससीसी 779, 'नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य' (2021) एससीसी आनलाइन एससी 315 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय (आपराधिक अपील संख्या 843 वर्ष 2024), 'प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य' में प्रतिपादित कानून के आलोक में प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।
6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और इस तथ्य को देखने के बाद कि प्रतिवादी संख्या 4 का बैंक खाता उनके फर्जी हस्ताक्षर करके खोला गया है, तथा जांच के दौरान एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें हस्ताक्षर जाली पाए गए हैं, और राज्य के विद्वान सरकारी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून को ध्यान में रखते हुए कि प्रश्नगत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एफ.आई.आर. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञेय अपराध प्रकट करती है, हमारी राय है कि प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है, इसलिए, प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।

7. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत/नियमित जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथाशीघ्र विचार किया जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा।

8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, तत्काल रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजिव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

फरवरी 16, 2026

वी.के.जी.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"